एस.ओ.पी.

गुम बालक/बालिकाओं के संबंध में एस.ओ.पी.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका 75/12 बचपन बचाओं आंदोलन विरूद्ध भारत सरकार में जारी निर्देश एवं किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रभावी कियान्वयन और बालक/बालिकाओं के मौजूदा कानूनों की मंशानुरूप अनुसार पुलिस को किस प्रकार कार्य करना चाहिए इस संबंध में मुख्यालय स्तर से एस. ओ.पी. तैयार कर जांच में अपनाई जाने वाली प्रकिया के संबंध में दिशा निर्देश :-

बालक कौन है ?

किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 2(12) और लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं नियम, 2012 की धारा 2(घ) के अनुसार जिसनें 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो वह बालक है।

नोटः- बालक की परिभाषा में बालिका भी सम्मिलित है।

गुमशुदा बालक :- किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के नियम 92(1) के अनुसार गुमशुदा बालक एक ऐसा बालक है, जिसके ठिकाने की, जिसके माता-पिता, कानूनी अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को जिसे बालक की अभिरक्षा विधिक रूप से सौंपी गई है, गायब होने की परिस्थितियां या कारण कुछ भी हो, जानकारी नहीं है और उसे जब तक ढूंढ़ नहीं लिया जाता है या उसकी सुरक्षा और कल्याण को स्थापित नहीं किया जाता है, गुमशुदा और देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाएगा।

देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक :- देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक से अभिप्राय ऐसे बालक से है जिसका उल्लेख किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(14) में किया गया है।

1.गुमशुदा बालक के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही

- किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के नियम 92(2) के अनुसार जब किसी बालक के बारे में जो गुमशुदा है, शिकायत प्राप्त होती है, पुलिस तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी।
- पुलिस बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करेगी और बालक को खोजने के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई को प्रथम सूचना रिपोर्ट अग्रेषित करेगी।
- किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के नियम 92(3) के अनुसार पुलिस निम्नलिखित कार्यवाही भी करेगी :-

(i) गुमशुदा बालक का नवीनतम फोटोग्राफ प्राप्त करेगी और जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई, गुमशुदा व्यक्ति दल, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो / मीडिया आदि के लिए प्रतियां बनाएंगी ;

(ii) नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रारूप भरेगी ;

(iii) विशेष रूप से बनाए गए गुमशुदा व्यक्ति सूचना प्रपत्र को भरेगी और तत्काल गुमशुदा व्यक्ति दल, जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य संबंधित संस्थाओं को भेजेगी ;

(iv) नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रासंगिक सूचना अपलोड करने के बाद गुमशुदा बालक के माता–पिता या अभिभावक के पते और संपर्क फोन नम्बरों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति डाक/ई–मेल द्वारा निकटवर्ती विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगी;

(v) गुमशुदा बालक के फोटो और शारीरिक ब्यौरे के साथ पर्याप्त संख्या में बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं को प्रकाशन के लिए भेजने के लिए तैयार करेगी;

(vi) गुमशुदा बालक के फोटो और ब्यौरे को–(क) प्रमुख समाचार पत्रों, (ख) टेलीविजन/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, (ग) स्थानीय केबल टेलीविजन नेटवर्क और सोशल मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित कर व्यापक प्रचार–प्रसार करेगी और बाद में बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत करेगी;

(vii) लाउड स्पीकरों के उपयोग और बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं का वितरण करके और प्रमुख स्थानों पर चस्पा करके आस–पास के क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार करेगी। सूचना को लोगों में फैलाने के लिए सोशल नेटवर्क पोर्टलों, संक्षिप्त संदेश सेवा अलर्ट और सिनेमाघरों में स्लाइडों का उपयोग किया जा सकता है;

(viii) शहर और कस्बे के सभी केंद्रों अर्थात् रेलवे स्टेशनों, बस स्टेण्डों, हवाई अड्डों,क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं का वितरण;

(ix) रुचि के क्षेत्रों और स्थानों जैसे कि सिनेमाघरों, शॉपिंग मॉल्स पार्कों, मनोरंजन पार्कों, गेम्स पार्लरों में खोजना और ऐसे क्षेत्रों को जहां गुमशुदा और भाग के गये बालक बार–बार, आते–जाते हैं, अभिनिर्धारित करना और उन पर नजर रखना;

(x) उस क्षेत्र के, जहां से बालक गुमशुदा होने की सूचना मिली है, आस–पास के क्षेत्रों में और सभी संभावित मार्गों और बस स्टैण्डों, रेलवे स्टेशनों जैसे परागमन गंतव्य बिंदुओं और अन्य स्थानों पर लगे क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरों की रिकार्डिंग को स्कैन करेगी;

(xi) निर्माणाधीन स्थलों, अनुप्रयुक्त भवनों, अस्पतालों और औषधालयों, चाइल्ड लाइन सेवाओं, और अन्य स्थानीय पहुंच कार्यकर्ताओं, रेलवे पुलिस, और अन्य स्थानों पर पूछताछ करना;

(xii) गुमशुदा बालकों के ब्यौरे पड़ोसी राज्यों के जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो और सीमावर्ती पुलिस थानों के थाना अधिकारियों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी पुलिस चौकियों के प्रभारियों

को भेजेगी और संबंधितों से नियमित वार्तालाप करेगी ताकि अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

- किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के नियम 92(5) के अनुसार जहां बालक को चार मास की अवधि के भीतर खोजा नहीं जा सकता है, मामले के अन्वेषण को जिला की मानव अवैध व्यापार रोधी इकाई को हस्तांतरित किया जाएगा जो अन्वेषण में हुई प्रगति के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकारण को प्रत्येक तीन मास में रिपोर्ट भेजेगा।
- गुम बालक से संबंधित रिपोर्टकर्ता/सूचनाकर्ता सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जिसे घटना के संबंध में अधिकतम जानकारी हो सकती है। अतः इसे बड़े ही ध्यान से सुनकर अविलंब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उसके विस्तृत कथन लिये जाये।
- गुम बालक के दोस्त, साथ पढ़ने वाले उसके साथी आदि से भी चर्चा की जाकर गुम बालक के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाना चाहिए।
- यदि गुम बालक/ बालिका के पास कोई मोबाईल है तो मोबाईल सिम की संबंधित सेवा प्रदाता कंपनी से गुमशुदा के मोबाईल की सी.डी.आर. (कॉल डिटेल रिपोर्ट), सी.ए.एफ. (कस्टमर एप्लीकेशन फार्म) अविलम्ब प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये एवं सायबर सेल/तकनीकी सेल के माध्यम से गुमशुदा का अंतिम टावर लोकेशन प्राप्त करना चाहिये। यदि मोबाईल फोन उपयोग हो रहा है अथवा आई.एम.ई.आई. नंबर के आधार पर नया नंबर प्राप्त कर लिया गया है तो टावर लोकेशन प्राप्त कर मोबाईल यूजर की तलाश के प्रयास कुछ समय अंतराल से करते रहना चाहिए। गुम बालक द्वारा उपयोग में लाये जा रहे मोबाईल का रिचार्ज किस प्रकार किस रिटेलर के माध्यम से किया गया है, यह ज्ञात करने से, गुमशुदा के लोकेशन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- गुम बालक द्वारा उपयोग किये जा रहे मोबाइल की सी.डी.आर. प्राप्त कर उसका विश्लेषण किया जाये और यह देखा जाये कि गुम बालक के द्वारा सबसे अधिक बाद और अधिक समय किस व्यक्ति से बात की है उसका गुम बालक से क्या संबंध है?
- यदि गुम बालक द्वारा मोबाइल का उपयोग किया जाता था और गुम होने के समय वह मोबाइल उसके साथ नहीं है और मोबाइल गुम बालक के परिवार के पास पाया जाता है तो उसकी व्हाट्स अप चैट, मैसेज आदि का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- यदि सूचनाकर्ता/परिजनों द्वारा गुम बालक के साथ कोई अपराध घटित होने की आशंका व्यक्त की हो तो तत्काल तलाशी अभियान तेज कर देना चाहिये एवं उपलब्ध जानकारी पर तत्काल कार्यवाही करते हुये सभी संदिग्ध स्थानों की तलाशी एवं संदिग्ध व्यक्तियों से प्राथमिकता के तौर पर पूछताछ करना चाहिये तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित विधिक प्रावधानों का पालन कर रेड एवं तलाशी की कार्यवाही की जाना चाहिए।
- गुम बालक की दस्तयाबी हेतु उससे संबंधित अधिक से अधिक लोगों से पूछताछ कर कथन लेख करना चाहिये विशेष रूप से ऐसे परिजनों/मित्रों के कथन लेख करें जिनसे

गुमशुदा की प्रगाढ़ता रही हो। परिजनों/मित्रों के अलावा अन्य शहर में निवासरत रिश्तेदारों, कार्यस्थल के लोगों एवं अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ करना चाहिये। अनुसंधानकर्ता अधिकारी को तत्काल उस व्यक्ति से जो मौके पर उपस्थित था अथवा जिसने गुम बालक/बालिकाओं को अंतिम बार देखा उनसे जांच के दौरान संभावित संदिग्धों के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहिए तथा बिना समय गंवाये ऐसे संदिग्धों से पूछताछ करना चाहिए।

- पारंपरिक पुलिसिंग के तहत मुखबिर तंत्र के माध्यम से गुम बालक/बालिका एवं उसके परिवार तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ तत्काल संकलित करना चाहिये। ऐसे संगठित गिरोह जो बच्चों से भिक्षावृत्ति कराने, देह व्यापार, मानव अंग व्यापार, मानव दुर्व्यापार जैसे अपराधों में लिप्त हों, के संबंध में अपने-अपने क्षेत्र में सूचना तंत्र विकसित करें जिससे गुम/अपहृत व्यक्तियों के संबंध में समय रहते सूत्र मिल सके।
- जाँचकर्ता/अनुसंधानकर्ता को गुम बालक/बालिका के परिजनों के सतत संपर्क में रहना चाहिये ताकि गुमशुदा के संबंध में उन्हें प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही की जा सके। उन्हें आवश्यकतानुसार जांच में प्रगति एवं किये गये प्रयासों से भी अवगत कराते रहना चाहिए जिससे उनका पुलिस के प्रति विश्वास कायम रहे।
- यदि गुमशुदा बालक का मोबाईल बरामद होता है तो मोबाईल फोन का डेटा जैसे वीडियो, आडियो एवं अन्य फाईल्स का गुमशुदा बालक की तलाश के उद्देश्य से विश्लेषण करना चाहिए। मोबाईल फोन/लेपटॉप/टेबलेट में व्यक्ति से संबंधित कई जानकारियाँ स्टोर होती हैं जैसे उसके द्वारा एक्सेस की जाने वाली वेबसाइट्स, सर्च इंजिन, सोशल नेटवर्किंग साइट की जानकारी जिनसे गुम बालक के ऐसे मित्र/सम्पर्कों का पता लग सकता है जो परिवारजनों की जानकारी में न हों। मोबाईल फोन के जी.पी.एस. ट्रेकर के माध्यम से उस व्यक्ति के मूवमेंन्ट के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मोबाईल फोन के बारीकी से विश्लेषण से कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मोबाईल धारक के संबंध में प्राप्त की जा सकती हैं।
- गुम बालक की व्यक्तिगत डायरी, लेपटॉप, कम्प्यूटर, मोबाईल फोन (यदि उपलब्ध है तो) आदि का परीक्षण करना भी गुम होने के कारण निर्धारित करने के उद्देश्य से करना महत्वपूर्ण होगा। उपरोक्त दस्तावेज/उपकरणों के परीक्षण/विश्लेषण से गुम बालक कहां चला गया है, इस संबंध में सूत्र मिल सकता है।
- गुमशुदा बालक के बैंक खातों की जानकारी प्राप्त कर उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउण्ट भी प्राप्त करना चाहिये एवं उसमें डेबिट, क्रेडिट की प्रविष्टियों अनुसार ए.टी.एम. के फुटेज प्राप्त करना चाहिये। यदि स्टेटमेंट ऑफ अकाउण्ट के विश्लेषण में कोई विशेष तथ्य प्रकाश में आयें जैसे भारी रकम का खाते में क्रेडिट होना या भारी रकम का खाते से डेबिट होना तो इन तथ्यों पर भी जाँच/अनुसंधान करना चाहिये। उपरोक्त खाता विवरणों से गुम बालक

के ए.टी.एम. / डेबिट कार्ड का किस शहर में किस ए.टी.एम. बूथ अथवा आउटलेट पर उपयोग हुआ है, इसका पता मिल सकता है।

- गुम बालक के संबंध में विभिन्न बालगृहों, अनाथालयों, आश्रय स्थलों पर, गरीब गृह, रैन बसेरा, धर्मशालायें, नारी निकेतन, अस्पतालों,गैर शासकीय संस्थाओं के अभिलेख आदि भी गुम बालक के संबंध में चैक करें।
- जिले / प्रदेश के अन्य थानों में दर्ज अज्ञात मर्ग से गुम बालक की उम्र, शारीरिक बनावट, पहचान चिन्ह आदि का मिलान होने पर संबंधित परिजनों से यथाशीघ्र तस्दीक करा लेना चाहिये। यदि किसी मर्ग में पहचान स्थापित नहीं हो तो उसका डी.एन.ए. सेम्पल एवं पहचान हेतु अंगुल चिन्ह आदि को सुरक्षित करा लेना चाहिये।
- गुमशुदा बालक की दस्तयाबी हेतु मुखबिर तंत्र को मजबूत करने के साथ–साथ उचित नगद पुरूस्कार भी घोषित करना चाहिये जिससे गुमशुदा बालक के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
- गुमशुदा बालक की दस्तयाबी हेतु गुमशुदा के संबंध में अपराध अनुसंधान विभाग के माध्यम से गजट प्रकाशन करना चाहिये।
- जाँचकर्ता / अनुसंधानकर्ता को गुमशुदा बालक की दस्तयाबी हेतु विभिन्न राज्यों की पुलिस की वेबसाईट सर्च करते रहना चाहिये एवं वेबसाइट के माध्यम से अन्य राज्यों में बरामद हुये गुम बालक की जानकारी रखना चाहिये।
- थाना प्रभारी अपने–अपने थाना क्षेत्र में लावारिस बच्चों के पाये जाने पर उनके निवास स्थान के संबंध में समय–समय पर अभियान चलाकर पता करें, यह संभव है कि ऐसे बालक के बारे में अन्य जिलों / राज्यों में कोई गुम बालक प्रकरण पंजीबद्ध हो। वर्तमान समय में ऐसे बालक को समीपस्थ आधार केन्द्र पर ले जाकर उसके बायोमेट्रिक विवरण से पहचान सुनिश्चित किया जाना संभावित हो सकता है।
- जाँचकर्ता / अनुसंधानकर्ता को इंटरनेट के माध्यम से अवयस्क गुम बच्चों के लिए विभिन्न वेबसाईटों जैसे ncrb.nic.in, trackthemissingchild.gov.in, *Face* Forensics And Analytics *Application* आदि को सर्च करते रहना चाहिये जहाँ गुमशुदा से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो सकती है।
- गुम बालक जिस क्षेत्र में निवासरत / कार्यरत हो वहां नदी, नाला आदि होने पर, विशेष रूप से वर्षा ऋतु में, नदी अथवा नाले के बहाव की दिशा में तलाश की जाना चाहिए तथा बहकर आये हुए शवों के बारे में पता लगाकर गुम बालकों से मिलान करना चाहिए।
- यदि गुमशुदा बालिका हो तो उसके फोटोग्राफ्स या अन्य जानकारियाँ प्रसारित करने से पूर्व उसके परिजनों से लिखित सहमति प्राप्त कर लेना चाहिये। साथ ही किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के सुसंगत प्रावधानों का भी इस संबंध में पालन बालक के सर्वोत्तम हित में किया जाये।

- पुलिस अधीक्षक प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए गुम व्यक्ति की बरामदगी पर क्षमता अनुरूप पुरूस्कार की राशि घोषित करेंगे तथा आवश्यकता होने पर समीक्षा कर पुरूस्कार की राशि बढ़ाने हेतु ज़ोनल पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे।

2. **जब गुमशुदा बालक को खोज लिया जाता हैः–** किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के नियम 92(6) के अनुसार जब बालक को खोज लिया जाता है;

(i) उसे उपर्युक्त निर्देश के लिए किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति या बाल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा;

(ii) पुलिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजेगी जो बालक और उसकेपरिवार को परामर्श और समर्थन सेवाएं प्रदान करेगा और

(iii) पुलिस जांच करेगी कि क्या बालक के साथ इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है और यदि ऐसा है तो तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

3– बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं उसके दायित्वः–

- किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 107(01) के अनुसार प्रत्येक थाने मे कम से कम एक अधिकारी जो सहायक उप निरीक्षक से निम्नतम स्तर का नही होगा, नियुक्त किया जायेगा तथा यह अधिकारी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कहलायेगा। यह अधिकारी स्वयं सेवी गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से बच्चो ओर पीड़ितो की समस्याओं का निराकरण करायेगा।
- किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 107(02) के अनुसार बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन करेगी, जिनका नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक का पुलिस अधिकारी करेगा और जिसमें उपधारा (1) के अधीन अभिहीत सभी पुलिस अधिकारी होंगे और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखने वाले दो सामाजिक कार्यकता, जिनमें एक महिला होगी, होंगे।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई के अंतर्गत बालकों से संबंधित रेल पुलिस भी आती है।
- बालकों से वार्तालाप करने वाला पुलिस अधिकारी जहाँ तक संभव हो सादे कपड़ों में होगा और वर्दी में नहीं होगा और बालिकाओं के साथ पेश आने के लिये महिला पुलिसकर्मियों को लगाया जायेगा।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या कोई अन्य पुलिस अधिकारी विनम्र और सौम्य तरीके से बात करेगा और बालक की गरिमा और उसका आत्मसम्मान बनाए रखेगा।

- जहाँ कहीं ऐसे प्रश्न पूछे जाने है, जो बालकों को असहज बना सकते है ऐसे प्रश्नों को विनम्र तरीके से पूछा जाएगा।
- किसी भी अभियुक्त या संभावित अभियुक्त को बालक के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा और जहाँ पीड़ित और विधि का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दोनों ही बालक है, उन्हें एक-दूसरे के संपर्क में नहीं लाया जाएगा।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई के पास उनके क्षेत्राधिकार वाले किशोर बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट और सदस्यों के नाम और संपर्क की, बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और संपर्क की जानकारी एवं बोर्ड और समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी होगी।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण अधिकारी के नाम और संपर्क की जानकारी पुलिस थानों, बाल देखरेख संस्थाओं, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और बाल न्यायालयों के प्रमुख भाग में प्रदर्शित की जाएगी।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई, उसके क्षेत्राधिकार में बालकों के कल्याण से संबंधित मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, बोर्ड और समिति के निकट समन्वय में कार्य करेगी।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई बालकों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगी।
- ऐसे बालक जो परित्यक्त, अनाथ, लावारिस हालत में मिले, और ऐसे बालक जो नवजात है, बीमार है, नशे की हालत में पाये गये है या घर से भाग गये है या सड़क पर भीख मांग रहे है ऐसे सभी बच्चों को संरक्षण में लेकर उनकी उचित देखभाल करते हुए उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- बालको के प्रति प्रत्येक किस्म की क्रूरता, दुर्व्यवहार तथा शोषण के विरूद्ध विधिक संरक्षण प्रदाय करने हेतु निगरानी तथा समन्वय का कार्य करेगी तथा विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में आगामी विधिक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट करेगी।
- विधि विवादित बालको की पहचान करने, बालको के प्रति हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा शोषण के सूचित मामलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई,स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय प्रशासकीय ढांचो तथा सामुदायिक संगठनों के साथ कार्य करेगी।
- विशेष किशोर पुलिसइकाई अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित गैर शासकीय संस्थाओ/स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची संधारित करेगी तथा बालको के विरूद्ध प्रत्येक किस्म के अपराधों विशेषतः मानव दुर्व्यापार तथा अवैध रूप से बालको को गोद लेना तथा बालको को निरूद्ध करना, की रोकथाम हेतु गतिविधियों की निगरानी करेगी।
- बच्चों के हित के लिए चाईल्ड हेल्प लाईन, स्वयं सेवी संगठन, श्रम विभाग, जिला इकाई, महिला सशक्तीकरण सभी से समन्वय कर बच्चों के संरक्षण व उचित पुनर्वास की व्यवस्था करना।

- जिले के परिवीक्षा अधिकारी को अभिरक्षा में लिये गये बालक की जानकारी उपलब्ध कराना और आवश्यकतानुसार सामाजिक रिपोर्ट, यदि बोर्ड आदेश करें तो 15 दिवस की अवधि में उसे प्रस्तुत करना।
- बालक के माता-पिता का समिति या बोर्ड के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करना और यदि बालक अधिकारिता के बाहर का है तो बोर्ड व समिति को सौंपना यदि संबंधित बालिका है तो महिला पुलिस अधिकारी का अनुरक्षण में साथ होना सुनिश्चित किया जावे।
- बालक जो दीर्घकालीन बीमारी से पीड़ित हैं उनके संबंध में बालक कल्याण समिति से आदेश प्राप्त कर नियत अस्पताल आदि के लिए भेजना। मानसिक रूप से रोगी या नशे के अभ्यस्त बालकों को यथोचित् चिकित्सा सुविधा के संबंध में बालक कल्याण समिति से आदेश प्राप्त कर उपलब्ध कराना।
- अनाथ, परित्यक्त, सड़कों पर भिक्षावृत्ती करते हुये या बालश्रम में पाये गये अथवा शोषित पीड़ित बालकों को जिन्हें देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता है उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना और समिति द्वारा दिये गये आदेश पालन करवाना।
- बाल कल्याण अधिकारी तथा समाज सेवक सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी बालक से प्रथमतः संपर्क होने पर उसे चिकित्सा संबंधी, बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाये तथा बालकों से बातचीत एवं संपर्क हेतु दोस्ताना माहोल बनाया जाये।
- सभी विशेष बाल अपराध पुलिस इकाई के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिससे वे इस क्षेत्र में प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे।

4. विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही :-

विधि का उल्लंघन करने वाला बालक :- किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(13) के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से ऐसा बालक अभिप्रेत है, जिसके बारे में यह अभिकथन है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है और जिसने उस अपराध के किये जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

- जब किसी बालक द्वारा अपराध किया जाता है तो उसे बाल अपराधी, बाल अपचारी, बाल आरोपी आदि जैसे नामों से संबोधित न किया जाकर **"विधि का उल्लंघन करने वाला बालक"** कहा जाएगा।

- जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को गिरफ्तार किया जाता है तभी ऐसे बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या अभिहीत बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा।
- विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा या जेल में नहीं डाला जाएगा।
- विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को गिरफ्तार किये जाने की दशा में 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- ऐसे व्यक्ति का, जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा जाता है, जब आदेश प्रवर्तन में हो, दायित्व इस प्रकार होगा मानो वह व्यक्ति बालक का माता-पिता है और बालक के भरण-पोषण के लिये उत्तरदायी होगा।
- विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को गिरफ्तार किये जाने पर उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके माता-पिता या संरक्षक को दी जाएगी और उन्हें यह भी सूचना दी जाएगी कि बालक को किस किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।
- विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को गिरफ्तार किये जाने पर उसकी गिरफ्तारी की सूचना परिवीक्षा अधिकारी को यदि परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी को भी दी जाएगी।
- विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को कोई हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। बालक पर किसी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी बालक को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएगा।
- पुलिस रिपोर्ट की प्रति बालक के माता-पिता या संरक्षक को दी जाएगी।
- बालक को अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा तथा पुलिस द्वारा जब बालक से बातचीत की जाये तब उसके माता-पिता या संरक्षक उपस्थित हो सकते है।
- बालक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।
- किशोर न्याया आदर्श नियम 2016 के नियम 8(5) के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि किसी अपराध में बालक की अभिकथित संलिप्तता के प्रत्येक मामले में उसे पकड़े जाने की परिस्थितियों की जानकारी प्रारूप-1 में अभिलिखित की जाकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।
- किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के नियम 8(1) के अनुसार जिन मामलों में बालक द्वारा किया गया जघन्य अपराध अभिकथित हो, या जब बालक द्वारा ऐसा अपराध व्यस्कों के साथ सम्मिलित रूप से किये जाने का अभिकथन किया गया हो, के सिवाय कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर्ड नहीं की जाएगी। अन्य सभी मामलों में, विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बालक द्वारा किये गये अभिकथित अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी में अभिलिखित करेगा, उसके पश्चात् प्रारूप-1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और जहाँ कहीं लागू हो, बालक को

पकड़े जाने की परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रथम सुनवाई से पहले किशोर न्यायं बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

- बालक की उम्र का निर्धारण किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94(2) के अंतर्गत निम्नानुसार किया जाएगा :-

(i) स्कूल से प्राप्त जन्म, तारीख का प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में,

(ii) नगर निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र,

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण, अस्थि जाँच Ossification Test या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जाएगा।

5. किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बालकों के विरूद्ध अन्य अपराध

धारा 74. बालक की पहचान प्रकटन का प्रतिषेध (1) किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचार पत्र, पत्रिका या समाचार पृष्ठ या दृश्य-श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में की किसी रिपोर्ट में ऐसे नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्टि को प्रकट नहीं किया जाएगा जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण के जरूरतमन्द बालक या किसी बाल पीड़ित या किसी अपराध के साक्षी की, जो तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन ऐसे मामले में अन्तर्वतित है, पहचान हो सकती है और न ही ऐसे बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगा:

परन्तु यथास्थिति, जांच करने वाला बोर्ड या समिति, ऐसा प्रकटन, लेखबद्ध किए जाने वाले ऐसे कारणों से तब अनुज्ञात कर सकेगी, जब उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के सर्वोत्तम हित में हो।

(2) पुलिस, चरित्र प्रमाण पत्र के प्रयोजन के लिए या अन्यथा बालक के किसी अभिलेख का, ऐसे मामलों में प्रकटन नहीं करेगी जहां कि मामला बन्द किया जा चुका हो या उसका निपटारा किया जा चुका हो।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

75. **बालक के प्रति क्रूरता के लिए दण्ड**- जो कोई बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उस बालक पर ऐसी रीति से, जिससे उस बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट होता संभाव्य हो, हमला करेगा, उसका परित्याग करेगा, उत्पीड़न करेगा, उसे उच्छन्न करेगा या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करेगा या उस पर हमला किया जाना, उसका परित्याग, उत्पीड़न, उच्छन्न या उसकी उपेक्षा किया जाना कारित करेगा या ऐसा किए जाने के लिए उसे उपाप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या एक लाख रुपए तक के जुमनि से, या दोनों से, दण्डनीय होगा;

76. **भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन** - (1) जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक को नियोजित करता है या किसी बालक से भी मंगवाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि पा बालक वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रुपए के जुमन से भी दण्डनीय होगाबालक;

परन्तु यदि भीख मांगने के प्रयोजन के लिए व्यक्ति बालक का अंगोच्छेदन करता है या उसे विकलांग बनाता है तो यह कारावास से, जो सात वर्ष से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के कारित करने का दुष्प्रेरण करता है, यह उपधारा (1) में यथा उपबन्धित शास्ति से, दण्डनीय होगा और ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (14) के उपखण्ड (V) के अधीन अयोग्य माना जाएगा;

परन्तु ऐसे बालक को किन्हीं परिस्थितियों में विधि का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा और उसे ऐसे संरक्षक या अभिरक्षक के भारसाधन या नियंत्रण से हटा लिया जाएगा और समुचित पुनर्वास के लिए समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

77. **बालक को मादक लिकर या स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति**- जो कोई सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश से अन्यथा किसी बालक को लोक स्थान में कोई मादक लिकर या कोई स्वापक औषधि या तम्बाकू उत्पाद या मनः प्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुमनि से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

78. **किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, उसे साथ रखने, उसकी आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग किया जाना**- जो कोई किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय साथ रखने, आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग करेगा, यह कठिन

कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रुपए तक के जुमनि से भी दण्डनीय होगा।

79. **किशोर बालक कर्मचारी का शोषण-** तत्समय प्रवृत किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो कोई किसी नियोजन के प्रयोजन के लिए बालक को दृश्यमानतः लगाएगा या उसे बन्धुआ रखेगा या उसके उपार्जनों को विधारित करेगा या उसके उपार्जन को अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख के जुमनि से भी, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए "नियोजन पद के अन्तर्गत माल और सेवाओं का विक्रय और आर्थिक लाभ के लिए लोक स्थानों में मनोरंजन करना भी आएगा।

6. रेल्वे के संपर्क में बालकः-

- माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली की रिट याचिका 5365/2012 में पारित दिशा निर्देशः-
- जैसे ही कोई बालक किसी रेल्वे स्टेशन पर बैठा मिलता है तो रेल्वे सुरक्षा बल, शासकीय रेल पुलिस/स्टेशन मास्टर उस बालक से उसका नाम, पता तथा उसके माता-पिता/वैध अभिभावक एवं रिश्तेदारों के अन्य विवरण आदि प्राप्त करेंगे तथा संबंधित स्टेशन मास्टर लोक संबोधन प्रमाणी का उपयोग कर ऐसे बालक के मिलने के संबंध में उद्घोषणा करेगा तथा स्थानीय पुलिस थाना/चौकी व बालक के माता-पिता/वैध अभिभावक एवं रिश्तेदारों को स्टेशन पर बालक के मिलने के संबंध में लिखित सूचना देगा। उपरोक्त सूचना पत्र की एक प्रति तत्काल उस थाने को भी प्रेषित करेगा जिस पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में संबंधित बालक के माता-पिता/वैध अभिभावक एवं रिश्तेदार निवासरत है, जिसमें बालक के स्टेशन पर मिलने के बारे में सूचना हो।
- यह सूचना की ऐसे बालकों को जो रेल्वे स्टेशन पर आकर रूके समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, समिति के पते एवं संपर्क टेलिफोन नम्बरो सहित रेल्वे स्टेशन पर ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जाये जहा से संबंधित बालकों के माता-पिता, वैध अभिभावक, रिश्तेदार आसानी से देख सके।
- जब तक कि बालक समिति के समक्ष प्रस्तुत न किया जाए वह रेल्वे सुरक्षा बल, शासकीय रेल पुलिस या स्टेशन मास्टर की अभिरक्षा में रहेगा तथा उसकी पर्याप्त देखभाल की जायेगी जिसमें उसको भोजन दिया जाना सम्मिलित है।
- बालक से संबंधित सम्पूर्ण विवरण उसके फोटोग्रफी सहित, उस सीमा तक का विवरण जितना किशोर न्याय अधिनियम 2015 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य

अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित न हो, का प्रकाशन रेल्वे की वेब साईट पर ऐसे प्रारूप में जो आसानी से पहुँच में हो जिससे बालक के माता-पिता/वैध अभिभावक बालक को पहचान कर उसकी अभिरक्षा प्राप्त कर सके।

- शासकीय रेल पुलिस/रेल सुरक्षा बल ऐसे बालक/बालिका के समुह पर जो किसी व्यस्क के साथ अथवा व्यस्क के बिना यात्रा कर रहे है पर प्रछन्न निगरानी करेगा और यदि पाता है कि बालक/बालिका का दुर्व्यव्यापार किया जा रहा है तथा निराश्रित छोडा गया है, दुर्व्याहार, त्यागा, शोषण किया गया तो संबंधित यात्रा टिकिट निरीक्षक से संपर्क कर उनकी सुरक्षा के संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- ऐसे देखरेख एवं संरक्षण योग्य बालकों को जो किसी रेल्वे स्टेशन पर आकर रूकते है, उनको रेल्वे सुरक्षाबल, शासकीय रेल पुलिस अथवा रेलकर्मी के द्वारा अधिनियम के अंतर्गत घटित क्षेत्राधिकार वाली बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

7. **चाइल्ड हेल्प लाईनः**-वर्तमान में प्रदेश के 48 जिलों में 24X7 राष्ट्रीय टोल फ्री नम्बर 1098 से चाइल्ड हेल्प लाईन बच्चों के आपातकालीन जरूरतों को देखता है और देखभाल और पुनर्वास के लिये सेवाओं से जोडता है।

- राष्ट्रीय टोल फ्री नम्बर 1098 बच्चों की देखभाल और संरक्षण की जरूरत के लिये बचाव और आपातकालीन सेवाऐ।
- स्थानीय विभागों जैसे पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य, रेल्वे एवं अन्य विभागों के हित में समन्वय।
- लापता बच्चों को खोजने के लिये ट्रेक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल के माध्यम से व अन्य संसाधनों से खोजने हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में कार्य करना।
- देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले सभी बालकों के संबंध में बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिये कार्य करना।

8- मानव दुर्व्यापार निरोध इकाई :-

- प्रदेश के 52 जिलो के महिला थानों को मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई के रूप में अधिसूचित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक /उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी जिसके नोडल अधिकारी होंगे।
- मानव दुर्व्यापार के अपराधों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु उप निरीक्षक से अनिम्न स्तर के अधिकारी को अनुसंधान हेतु नामांकित किया गया है।
- प्रकरण के सूचनाकर्ता हेतु अधिकार पत्र जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुसंधान के विभिन्न स्तरों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पीडित पक्ष को दी जाना अनिवार्य किया गया है।

- इकाई बच्चों के अवैध व्यापार होने की प्रवृत्ति पर भी विचार करेगी । ऐसे सभी मामलों में जंहा साक्ष्य संगठित मानव तस्करी/रैकेट से संबंधित पाया जाता है, इकाई तत्काल कार्यवाही करेगी ।
- जब भी गुमशुदा बच्चा ढूढ़ने के बाद वापस प्राप्त होता है तो जाँचकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी संलिप्तता bonded labour act., labour act 2016, juvenile justice (care and protection of children) act 2015, protection of children from sexual offences act. 2012 एवं ऐसे अन्य किसी संबंधित अधिनियम से तो नही है। यदि ऐसा कोई संलिप्तता पाई जाती है तो इकाई द्वारा प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।

चैक लिस्ट

गुम बालक / बालिकाओं के प्रकरण दर्ज करने के प्रथम 24 घंटों में की जाने वाली कार्यवाही

1. गुम बालक / बालिकाओं होने पर तत्काल आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करना
2. गुम बालक / बालिकाओं का अद्यतन फोटो प्राप्त करना
3. गुम बालक / बालिकाओं की उम्र, हुलिया एवं शरीर के सभी पहचान चिन्ह, व्यक्तिगत रूचि, दिनचर्या व आदतें, शारीरिक व मानसिक रूग्णता, गुमने के स्थान का विवरण आदि
4. गुम बालक / बालिकाओं का माता–पिता एवं अन्य परिजनों से व्यवहार
5. गुम बालक / बालिका के व्यक्तिगत विवरण का वितंतु संदेश जारी करना / पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना
6. गुम बालक / बालिकाओं के परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना
7. गुम बालक / बालिकाओं के माता–पिता (सौतेले पिता अथवा माता सहित, यदि हैं तो) सभी भाई एवं बहनों के नाम–पते एवं मोबाईल नंबर आदि की जानकारी प्राप्त करना
8. अन्य व्यक्ति जिसका परिवार मे आना–जाना हो, का नाम–पता, मोबाईल नंबर आदि
9. गुम बालक / बालिकाओं के सभी रिश्तेदारों, मित्रों, जहां उसका जाना संभावित हो के नाम–पते एवं फोन नंबर की जानकारी प्राप्त करना।
10. गुम बालक / बालिकाओं का किससे अधिक लगाव था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर उसका नाम–पता एवं मोबाईल नंबर की जानकारी प्राप्त करना
11. गुम बालक / बालिका के मोबाईल नंबर अथवा वह किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल फोन उपयोग करता था तो संबंधित मोबाईल नंबर प्राप्त करें

12. गुम बालक/बालिकाओं के मोबाईल नंबर के आधार पर उसकी लोकशन ट्रेस करना एवं सी.डी.आर./आई.एम.ई.आई. नंबर सर्च हेतु सर्विस प्रोवायडर्स को ई–मेल करना
13. सूचनाकर्ता एवं गुम बालक/बालिकाओं के बारे में अधिकतम जानकारी रखने वाले व्यक्ति के कथन अभिलेख करना एवं प्राप्त जानकारी अनुसार संभावित स्थानों पर तलाश करना
14. स्थानीय एवं आस–पास संभावित क्षेत्र के अस्पतालों में गुम बालक/बालिकाओं के बारे में पता लगाना।
15. गुम बालक/बालिकाओं की डायरी, लेपटॉप, कम्प्यूटर आदि का परीक्षण करना
16. व्हाट्स एप्प, फेस बुक सोशल मीडिया पर गुमशुदा का विवरण, फोटो आदि प्रसारित करना
17. मित्रों से किस प्रकार की बातें करता था/करती थी
18. किसी व्यक्ति विशेष पर घटना के संबंध में संदेह व्यक्त किया गया है तो कारण व सत्यापन
19. गुम बालक/बालिकाओंयदि पहले भी गुम हुआ था/स्वतः भागा था, तो किन परिस्थितियों में दस्तयाब हुआ
20. अंतिम बार किसके साथ देखा गया उसका नाम–पता, उम्र एवं सम्पर्क विवरण
21. यदि स्कूल/कॉलेज जाता था तो किसके साथ व किस साधन से जाता था ?
22. क्या घर से नगद राशि, गहने आदि भी गायब हैं ?

<u>गुम बालक/बालिकाओं के प्रकरण दर्ज करने के प्रथम तीन दिवसों में की जाने वाली कार्यवाही :</u>

1. गुम बालक/बालिकाओं के व्यक्तिगत विवरण व फोटोयुक्त पर्चा सार्वजनिक स्थानों पर वितरित/चस्पा करना
2. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को सूचना
3. गुम बालक/बालिकाओं के कॉल विवरण प्राप्त कर विश्लेषण उपरांत संबंधितों से पूछताछ करना
4. गुम बालक/बालिकाओं के मोबाईल हेंडसेट का आई.एम.ई.आई. नंबर सर्च कराना
5. गुम बालक/बालिकाओं से संबंधित व्यक्तियों/मित्रों/परिजनों से पूछताछ एवं कथन
6. बस स्टेण्ड/रेल्वे स्टेशन पर सी.सी.टी.वी. कैमरों के वीडियो में गुमशुदा को चेक करना
7. गरीब गृह, नारी निकेतन, धर्मशालाओं, धार्मिक स्थलों, बाल आश्रय गृह आदि में गुमशुदा की तलाश करना
8. गुम बालक/बालिकाओं के पितृ एवं मातृ पक्ष के सभी रिश्तेदारों तथा अन्य रिश्तेदारों के नाम–पते, फोन नंबर आदि की जानकारी
9. गुम बालक/बालिकाओं के माता पिता के मित्र, सहकर्मियों, व्यावसायिक सहयोगियों के नाम–पते, फोन नंबर आदि की जानकारी
10. क्या गुम बालक/बालिकाओं पहले किसी अन्य ग्राम अथवा शहर में परिवार के साथ अथवा अकेला रहा/रही है, तो किसके पास व कितने दिनों तक ? (संबंधितों के नाम पते व फोन नंबर आदि की जानकारी)
11. यदि गुम बालक/बालिकाओं के संबंध में निम्न जानकारी –

अ– जन्म घर पर हुआ है अथवा अस्पताल में

ब– क्या जन्म पंजीयन कराया है ? यदि हॉ तो जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

स– यदि जन्म पंजीयन नहीं कराया है तो जन्म के समय ऐसी कौन सी घटना हुई जो उसके माता–पिता को याद हो जिससे उम्र का निर्धारण किया जा सके

द– आवश्यकतानुसार पंचायत से जन्म संबंधी जानकारी लें

इ– क्या स्कॉलर रजिस्टर में उम्र लेख करते समय कोई जन्मतिथि संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था, यदि नही तो आधार जिसके अनुसार स्कॉलर रजिस्टर में दर्ज तिथि को न्यायालय में सही ठहराया जा सके

12.माता–पिता व अन्य परिजनों का गुम बालक/बालिकाओं से व्यवहार के बारे में मोहल्ले पड़ोस में पुष्टि की जाये

13.क्या रेल्वे स्टेशन/बस स्टेण्ड के आसपास देखा गया है ?

14.स्कूल की नोटबुक में कोर्स के अलावा क्या लिखता था ?

15.किस तरह का टी.वी. शो एवं मूवी देखता था ?

गुम बालक/बालिकाओं के प्रकरण दर्ज करने के प्रथम सात दिवसों में की जाने वाली कार्यवाही :

1. गुम बालक/बालिकाओं के व्यक्तिगत विवरण व फोटो को समाचार पत्र/मीडिया में प्रकाशन/प्रसारण
2. गुम बालक/बालिकाओं के ए.टी.एम., क्रेडिट/डेबिट कार्ड, ई–वॉलेट आदि के बारे में जानकारी व उस आधार पर लोकेशन ट्रेस करना
3. गुम बालक/बालिकाओं के बैंक खातों के विवरण प्राप्त कर विश्लेषण करना
4. गुम बालक/बालिकाओं के अन्य शहर में निवासरत परिजनों/मित्रों से सम्पर्क कर पूछताछ/कथन लेना
5. क्षेत्र में व आस–पास अन्य संभावित स्थानों पर पाये गये अज्ञात शवों से मिलान करना
6. गुम बालक/बालिकाओं सूचना के गजट प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना

–000–